

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को कया रद्द

प्रलिस के लयि:

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), [चुनावी बॉण्ड](#), [सूचना का अधिकार](#), [लोक प्रतनिधित्व अधनियम \(RPA\), 1951](#), [वतित अधनियम, 2017](#), [आनुपातकता परीक्षण](#), [चुनावी टर्स्ट योजना](#)

मेन्स के लयि:

सूचना का अधिकार, पारदर्शता और जवाबदेही, चुनावी बॉण्ड योजना

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में कयों?

एक ऐतहासकि फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) की पाँच-न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme- EBS) और संबंधति संशोधनों को असंवैधानकि करार दया, जो भारत में राजनीतकि वतितपोषण पर व्यापक प्रभाव डालेगा।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावी बॉण्ड संवधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

क्या है चुनावी बॉण्ड योजना पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय?

- सर्वोच्च न्यायालय** ने EBS और वतित अधनियम, 2017; लोक प्रतनिधित्व अधनियम, (RPA) 1951; आयकर अधनियम, 1961 और कंपनी अधनियम, 2013 में कयि गए संशोधनों को असंवैधानकि घोषति कयि।
 - इन संशोधनों से पहले राजनीतकि दल कठोर अनविरयताओं के अधीन योगदान ग्रहण कर सकते थे, जसिमें 2,000 रुपए से अधिक के योगदान की घोषणा और कॉर्पोरेट दान पर एक सीमा शामिल थी।
- SC द्वारा यथास्थतिकी बहाली:**
 - सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय ने राजनीतकि दलों की फंडिंग के लयि महत्त्वपूर्ण कई कानूनों में वतित अधनियम, 2017 से पहले के वधिकि ढाँचे को बहाल कर दया।
 - लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951:**
 - धारा 29C में राजनीतकि दलों को दानकर्त्ता की गोपनीयता के साथ सूचना के अधिकार को संतुलति करते हुए 20,000 रुपए से अधिक के दान का खुलासा करना अनविरय है।
 - वतित अधनियम, 2017 का हस्तक्षेप:**
 - चुनावी बॉण्ड के माध्यम से दान को प्रकटीकरण/खुलासे की आवश्यकताओं से छूट देने वाला एक अपवाद प्रस्तुत कयि गया।
 - सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:**
 - पारदर्शता और गोपनीयता संतुलन के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए संशोधन को खारजि कर दया गया।
 - कंपनी अधनियम, 2013:**
 - धारा 182 ने कॉर्पोरेट दान को प्रतबंधति कर दया और एक सीमा नरिधारति (पछिले तीन वतिततीय वर्षों के औसत लाभ का 7.5%) की तथा प्रकटीकरण/खुलासे की आवश्यकताओं को लागू कयि।
 - वतित अधनियम, 2017 का हस्तक्षेप:**
 - इसमें कॉर्पोरेट दान के लयि सीमा और प्रकटीकरण के दायतियों को हटा दया गया।
 - सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:**
 - चुनावों पर अनयिंतरति कॉर्पोरेट प्रभाव संबंधी चतियाओं का हवाला देते हुए संशोधन को रद्द कर दया गया।
 - आयकर अधनियम, 1961:**
 - धारा 13A(b) के तहत 20,000 रुपए से अधिक के दान का रकिॉर्ड रखना अनविरय कयि गया है।
 - वतित अधनियम, 2017 का हस्तक्षेप:**
 - चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान का रकिॉर्ड रखने की आवश्यकताओं से छूट दी गई।

• सर्वोच्च न्यायालय का नरिणयः

- मतदाताओं के सूचना के अधिकार को बरकरार रखते हुए संशोधन को रद्द कर दिया।

■ अनुपातकता परीक्षणः

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का पता लगाने के लिये **अनुपातकता परीक्षण (Proportionality Test)** लागू किया कि इस योजना ने **मतदाताओं के सूचना के अधिकार** और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता का उल्लंघन किया है अथवा नहीं।
- अनुपातकता परीक्षण **राज्य की कार्रवाई और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन का मूल्यांकन** करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक मानक के रूप में कार्य करता है।
 - अनुच्छेद 19(2) सरकार को **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति** देता है।
 - ये प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिये उकसाने के संबंध में हो सकते हैं।
 - संवधान भाग III में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें **स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार [अनुच्छेद 19(1)]** भी शामिल है। इन अधिकारों में किसी भी हस्तक्षेप के लिये यह अनिवार्य होगा कि अनुपातकता परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन किया गए **अनुच्छेद 19(2)** में नरिदष्टि "उचित प्रतिबंधों" का पालन किया जाए।
- अनुपातकता परीक्षण को **के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, 2017** के नरिणय में प्रमुखता दी गई, जिसमें **गोपनीयता की पुष्टि मौलिक अधिकार के रूप में** की गई।
- इसे **आधार अधिनियम, 2018** के नरिणय में भी बरकरार रखा गया और कहा गया कि अनुपातकता परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की कार्रवाइयाँ वैध सरकारी हितों का अनुसरण करते हुए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती हैं।
- **सरकार का तर्क और राज्य के हितः**
 - सरकार ने तर्क दिया कि **काले धन पर अंकुश लगाना और दानकरत्ता की गोपनीयता** की रक्षा करना राज्य के वैध हित हैं।
 - दाताओं की गोपनीयता के अधिकार को एक **मौलिक अधिकार के रूप में बनाए रखने के लिये दाता अनामकता** (दाता से संबंधी जानकारी को उजागर न करना) को अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया।
 - सरकार ने तर्क दिया कि सूचना का अधिकार उस जानकारी को मांगने तक विस्तारित नहीं है जो राज्य के अधिकार क्षेत्र या जानकारी में नहीं है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का रुखः**
 - न्यायालय ने एक वैध राज्य उद्देश्य के रूप में दानकरत्ता की अनामकता को खारजि कर दिया और अनामकता के बजाय संवधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत **मतदाताओं के सूचना के अधिकार को प्राथमिकता** दी।
 - इसमें सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने और सरकार को जवाबदेह बनाए रखने में सूचना के अधिकार की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया।
 - **सर्वोच्च न्यायालय ने "दोहरी अनुपातकता" परीक्षण की अवधारणा को लागू किया। इस दृष्टिकोण में प्रतिसिपर्द्धी मौलिक अधिकारों, सूचना के अधिकार और नजिता के अधिकार को संतुलित करना शामिल है।**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुपातकता परीक्षण तब लागू होता है जब अधिकारों और राज्य की कार्रवाई के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन दोनों अधिकारों को संतुलित करने के लिये न्यायालय आगे बढ़ता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य दोनों अधिकारों के लिये **कम-से-कम प्रतिबंधात्मक तरीकों का चयन करे और असंगत प्रभावों से बचे।**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिये **चुनावी ट्रस्ट योजना** जैसे कम दखल देने वाले तरीकों की उपलब्धता पर प्रकाश डाला।
- **जारी किये गए दशा-नरिदेशः**
 - भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को किसी भी अन्य चुनावी बॉण्ड को जारी करने पर तुरंत रोक लगाने और 12 अप्रैल, 2019 से अब तक राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए ऐसे बॉण्ड का वविरण **भारत नरिवाचन आयोग (ECI)** को प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। इस तरह के वविरण में प्रत्येक बॉण्ड की खरीद की तिथि, बॉण्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए बॉण्ड का मूल्य शामिल होना चाहिये।
 - बाद में ECI 13 मार्च, 2024 तक SBI द्वारा साझा की गई ऐसी सभी जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
 - ऐसे चुनावी बॉण्ड जो वैधता अवधि के भीतर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए नहीं गए, उन्हें **जारी किये गए रफिंड के साथ वापस** किया जाना चाहिये।

चुनावी बॉण्ड क्या हैं?

■ परिचयः

- वर्ष 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से फंडिंग की अनुमति देती है।
 - ये बॉण्ड ववित्तीय साधनों के रूप में कार्य करते हैं और इन्हें वचन-पत्र या वाहक बॉण्ड के समान, वशिष रूप से राजनीतिक दलों को योगदान देने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- EBS की घोषणा पहली बार वर्ष 2017 के बजट सत्र में की गई थी। बाद में इसे जनवरी 2018 में चुनावी बॉण्ड को सक्रम करने के लिये **ववित्त अधिनियम 2017, लोक प्रतनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के माध्यम से** राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में अधिसूचित किया गया था।
 - इन संशोधनों ने कंपनियों के लिये दान की सीमा को पूरी तरह से समाप्त करके और चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा करने तथा उसका रकिॉर्ड रखने की आवश्यकताओं को हटाते हुए चुनावी बॉण्ड को लेकर राजनीतिक दलों के ववित्तपोषण

पर कई प्रतर्बिंधों में कटौती करने की अनुमति दी।

- **चुनावी बॉण्ड के माध्यम से दान:**
 - चुनावी बॉण्ड भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और इसकी नामति शाखाओं द्वारा जारी किए जाते हैं और 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तथा 1 करोड़ रुपए के कई मूल्यवर्ग में बेचे जाते हैं।
 - दानकर्त्ता अपने ग्राहक को जानें (Know Your Customer- KYC) अनुपालक खाते के माध्यम से चुनावी बॉण्ड खरीद सकते हैं और बाद में राजनीतिक दलों को धन हस्तांतरित कर सकते हैं।
 - दानकर्त्ता, चाहे व्यक्ति हों या कंपनियाँ, इन बॉण्डों को खरीद सकते हैं और दानदाताओं की पहचान बैंक और प्राप्तकर्त्ता राजनीतिक दलों दोनों के लिये गोपनीय रहती है।
 - चुनावी बॉण्ड के माध्यम से किये गए दान पर योजना के तहत 100% कर छूट का लाभ मिलता है।
 - विशेष रूप से किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले चुनावी बॉण्ड की संख्या की कोई सीमा नहीं निर्धारित नहीं है।
- **चुनावी बॉण्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने हेतु पात्रता:**
 - केवल RPA, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के पछिले चुनावों में डाले गए वोटों का 1% से कम वोट हासिल नहीं किया है, वे चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के पात्र हैं।

राजनीतिक दलों की फंडिंग पर क्या सफारिशें हैं?

- **चुनावों के राज्य वित्तपोषण पर इंटरजीत गुप्ता समिति, 1998:**
 - कम वित्तीय संसाधनों वाली पार्टियों के लिये नक्षिपक्ष प्रतर्बिंधा स्थापित करने के लिये चुनावों के लिये राज्य द्वारा वित्तपोषण का समर्थन किया गया।
 - **अनुशंसति सीमाएँ:**
 - राज्य नक्षि केवल आवंटित प्रतीकों वाले राष्ट्रीय और राज्य दलों को आवंटित की जाएगी, स्वतंत्र उम्मीदवारों को नहीं।
 - प्रारंभ में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को कुछ सुविधाएँ प्रदान करते हुए राज्य वित्तपोषण वस्तु के रूप में प्रदान किया जाना चाहिये।
 - आर्थिक बाधाओं को स्वीकार किया गया, पूर्ण राज्य वित्तपोषण के बजाय आंशिक वित्तपोषण का समर्थन किया।
- **नरिवाचन आयोग की सफारिशें:**
 - नरिवाचन आयोग की 2004 की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों के लिये अपने खातों को सालाना प्रकाशित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिससे आम जनता और संबंधित संस्थाओं द्वारा जाँच की अनुमति मिल सके।
 - नरिंतरक और महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित फर्मों के माध्यम से ऑडिट किये जाने के साथ, सटीकता सुनिश्चित करते हुए ऑडिट किये गए खातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिये।
- **वधि आयोग, 1999:**
 - चुनावों के लिये कुल राज्य वित्तपोषण को इस शर्त के तहत "वांछनीय" बताया गया कि राजनीतिक दलों को अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने से प्रतर्बिंधित किया गया है।
 - वधि आयोग की 1999 की रिपोर्ट में RPA, 1951 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें गैर-अनुपालन के लिये दंड के साथ, राजनीतिक दल के खातों के प्रबंधन, ऑडिट और प्रकाशन के लिये धारा 78A पेश की गई।

वैश्विक राजनीतिक फंडिंग भारत में फंडिंग से कसि प्रकार भिन्न है?

- **पार्टियों को महत्त्व बनाम उम्मीदवार:**
 - वैश्विक उदाहरण:
 - संयुक्त राज्य अमेरिका में, राजनीतिक फंडिंग प्रायः व्यक्तिगत उम्मीदवारों के इर्द-गिर्द केंद्रित होती है, जिसमें उनके अभियानों का समर्थन करने के लिये व्यापक स्तर पर धन प्राप्त करने के प्रयास होते हैं।
 - भारत का संदर्भ:
 - इसके विपरीत, भारत और अन्य संसदीय प्रणालियाँ राजनीतिक दलों पर केंद्रित फंडिंग फ्रेमवर्क को प्राथमिकता देती हैं, जहाँ दान को सामूहिक रूप से पार्टी की गतिविधियों और अभियानों का समर्थन करने के लिये प्रसारित किया जाता है।
- **दान का वनियमन:**
 - वैश्विक पद्धति:
 - इसके विपरीत, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश दान की सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि वनियमन की एक वधि के रूप में व्यय सीमा का विकल्प चुनते हैं।
 - कई न्यायक्षेत्र राजनीतिक फंडिंग में अनुचित प्रभाव को रोकने के लिये वदिशी संस्थाओं या नगिमों जैसे कुछ दानदाताओं पर प्रतर्बिंध या सीमाएँ आरोपित करते हैं।
 - उदाहरण के लिये अमेरिका का संघीय कानून दाता के प्रकार के आधार पर दान की अलग-अलग सीमाएँ निर्धारित करता है।
 - भारत का संदर्भ:
 - भारत दान को नरिंतरित करता है लेकिन यहाँ व्यक्तिगत दान पर वशिषिट सीमाओं का अभाव है। यह वरिधाभास भारतीय राजनीति में बड़े दानदाताओं के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करता है।
- **व्यय सीमा:**

- वैश्विक मानदंड:
 - यूनाइटेड कंगडम जैसे कषेत्राधिकार राजनीतिक दलों पर व्यय सीमा लागू करते हैं, जैसेप्रति सीट 30,000 यूरो (लगभग 30 लाख रुपए) से अधिक खर्च न करने जैसी सीमा ।
 - वित्तीय प्रभुत्व को कम करने और उम्मीदवारों या पार्टियों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक फंडिंग ढाँचे में व्यय सीमा सामान्य है ।
- भारत का संदर्भ:
 - भारत के वनियामक परदृश्य में पार्टियों पर कानूनी व्यय सीमा का अभाव है, जिससे उन्हें चुनावी अभियानों पर स्वतंत्र रूप से खर्च करने की अनुमति मिलती है, जो संभावित रूप से चुनावी परिणामों को विकृत करती है ।
- सार्वजनिक वित्तपोषण:
 - वैश्विक पद्धति:
 - कई देश वभिन्न मानदंडों के आधार पर राजनीतिक दलों के लिये सार्वजनिक धन की पेशकश करते हैं ।
 - उदाहरण के लिये जर्मनी में पार्टियों को पछिले चुनाव प्रदर्शन, सदस्यता शुल्क और नज्जी दान जैसे कारकों के आधार पर धन मिलता है । इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल फाउंडेशनस को राज्य से धन प्राप्त होता है ।
 - सफ़िटल, अमेरिका में "डेमोक्रेसी वाउचर" का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पात्र मतदाताओं को अपने चुने हुए उम्मीदवारों को दान देने के लिये वाउचर प्राप्त होते हैं ।
 - भारतीय संदर्भ:
 - भारत के सार्वजनिक वित्तपोषण तंत्र सीमति हैं, चुनावी बॉण्ड योजना जैसी पहल से पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं ।
- पारदर्शिता और गुमनामी को संतुलित करना:
 - अंतरराष्ट्रीय अभ्यास:
 - कई न्यायक्षेत्रों का उद्देश्य छोटे दानदाताओं को गुमनाम रहने की अनुमति देकर पारदर्शिता और गुमनामी को संतुलित करना है, जबकि बड़े दान के लिये खुलासे की आवश्यकता होती है ।
 - उदाहरण के लिये यूके में पार्टियों को एक कैलेंडर वर्ष में 7,500 पाउंड से अधिक के दान की सूचना देनी होती है, जबकि जर्मनी में यह सीमा 10,000 यूरो है ।
 - इस दृष्टिकोण के पीछे तर्क यह है कि छोटे दानदाताओं के महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने की संभावना कम होती है और वे उत्पीड़न के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जबकि बड़े दानदाताओं की बदले में यथास्थिति व्यवस्था (Quid pro quo arrangements) में शामिल होने की अधिक संभावना होती है ।
 - भारतीय संदर्भ:
 - इसके विपरीत भारत में व्यक्तियों पर दान सीमा और पार्टियों पर कानूनी व्यय सीमा का अभाव है, जिससे अभियानों पर अप्रतिबंधित खर्च की अनुमति मिलती है ।
- चली द्वारा किया गया प्रयोग:
 - चली के प्रयोग का उद्देश्य प्रतिदिन व्यवस्था को रोकने के लिये पार्टी फंडिंग में गुमनामी हासिल करना था ।
 - इस प्रणाली के तहत दानकर्त्ता नरिवाचन सेवा को धन हस्तांतरित कर सकते हैं, जो दानकर्त्ता की पहचान उजागर किये बिना इसे पार्टी को भेज देगा ।
 - हालाँकि जैसा कि 2014-15 की घटनाओं से पता चला, दानकर्त्ताओं और पार्टियों के

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत के संवधान के कसि अनुच्छेद के अंतर्गत 'नजिता का अधिकार' संरक्षित है?

- (a) अनुच्छेद-15
- (b) अनुच्छेद-19
- (c) अनुच्छेद-21
- (d) अनुच्छेद-29

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यत्तगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है । भारत के संवधान में नमिनलिखित में से कसिसे उपर्युत्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 एवं संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दयि राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. "सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तीकरण के बारे में नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनर्प्रभाषित करता है।" वविचना कीजिये। (2018)

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के वसितार का परीक्षण कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-invalidates-electoral-bonds-scheme>

